फर्द अहकाम

गोपाललाल बनाम रमेशपाल

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 150/2021

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		डिक्री पर्चा जारी हो इस आशय की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते इंतजार विभाजन प्रस्ताव दिनांक 22/01/2024 को पेश हो। sd/- सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर	
	22/1/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय द्वारा कन्डोलेन्स/कार्य स्थगित करने के कारण [illegible] नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनां 11/3/24 को पेश हो।	
	11/3/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 19/4/24 को पेश हो। तहसीलदार बस्सी से चाहा गया विभाजन प्रस्ताव बाई मीएस द्वारा पेश किया गया, जो शामिल मिशल किया गया।	
	19/4/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब दौरे/अन्य कार्य [illegible] कारण कार्यवाही नहीं [illegible]। पत्रावली दिनांक 10/6/24 को पेश हो।	
	10/6/24	पत्रावली [illegible]। वकुलाय द्वारा कन्डोलेन्स/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 15/7/24 को पेश हो। sd/-	
sd/-	15/7/24	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता ने तहसीलदार बस्सी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादपत्र में अंतिम डिक्री फरमाने हेतु निवेदन किया। वादी अधिवक्ता को वादपत्र पर सुना गया। sd/-	

फर्द अहकाम

गोपाल लाल बनाम श्योपाल

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 150/2021

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं वादी मासिवम्ता को वादपत्र पर सुनने के उपरान्त हम पाते है कि विभाजन प्रस्ताव विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना करते हुवे बनाये गये है एवं प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर किसी भी पक्षकार द्वारा कोई आपत्ति नही की गई है इसलिए न्यायहित को ध्यान मे रखते हुवे वादी का वाद मुताबिक तहसीलदार बस्सी दिनांक 06/02/2024 का अनुमोदन किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा न. 162 रकबा 0.2782 हैक्टर स्थित ग्राम सुजानपुरा प.ह. दूधली तह. बस्सी जि. जयपुर में से खसरा न. 162/1 रकबा 0.0927 हैक्टर कि भूमि खातेदार गोपाललाल पुत्र धन्ना जाति मीना सा. देह खातेदार के हिस्से मे रहेगी तथा खसरा न. 162/3 रकबा 0.0927 हैक्टर कि भूमि खातेदार श्योपाल पुत्र धन्ना जाति मीना सा. देह. खातेदार के हिस्से मे रहेगी तथा खसरा न. 162/2 रकबा 0.0928 हैक्टर कि भूमि खातेदार ग्यारसी देवी पत्नी स्व. धन्ना जाति मीना देह खातेदार (फौत) जरिये वारिसान गोपाललाल पुत्र धन्ना हि. 1/5, श्योपाल पुत्र धन्ना हि. 1/5, भौरीदेवी पुत्री धन्ना हि. 1/5	
		[signature]	

फर्द अहकाम

गोपाललाल बनाम श्योपाल

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 150/2021

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		सुशीला पुत्री धन्ना हि॰ 1/5, प्रेम देवी पुत्री धन्ना हि॰ 1/5 जाति मीना सा॰ देह खातेदार के हिस्से मे रहेगी। उक्तानुसार तहसीलदार बस्सी राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद की कार्यवाही करें। प्रकरण मे फोत हुऐ पक्षकार के वारिसों की जांचकर उनके नाम नामान्तकरण दर्ज कर तदपश्चात अमल दरामद की कार्यवाही करें। बाद अनुमोदन कुर्रेजात व नक्शे तहसीलदार बस्सी को भिजवाया जावे। इस आशय की तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। यह निर्णय आज दिनांक 15/07/2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर	

अंतिम डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी कनक जैन (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी,जयपुर ग्रामीण

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. गेपाललाल पुत्र धन्ना जाति मीना निवासी ग्राम सुजानपुरा देवाना की ढाणी तह. बस्सी जिला जयपुर।		1. श्यापाल पुत्र धन्ना जाति मीना निवासी ग्राम सुजानपुरा देवाना की ढाणी तह. बस्सी जिला जयपुर। 2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर। 3. उपपंजीयक बस्सी, तह. बस्सी जिला जयपुर।

<u>दावा बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955</u>

मुकदमा नम्बर 150/21

वादी का वाद अंतिम डिकी किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख.न. 162 रकबा 0.2782 है0, स्थित ग्राम सुजानपुरा प0ह0 दूधली तह. बस्सी जिला जयपुर में से ख0न0 162/1 रकबा 0.0927 है0 की भूमि खातेदार गोपाललाल पुत्र धन्ना जाति मीना सा. देह खातेदार के हिस्से में रहेगी तथा ख0न0 162/3 रकबा 0.0927 है0 की भूमि खातेदार श्योपाल पुत्र धन्ना जाति मीना सा0 देह खातेदार के हिस्से में रहेगी तथा ख0न0 162/2 रकबा 0.0928 है0 की भूमि खातेदार ग्यारसी पत्नि स्व. धन्ना जाति मीना देह खातेदार(फोत) जरिये वारिसान गोपाललाल पुत्र धन्ना हि. 1/5, श्योपाल पुत्र धन्ना हि. 1/5, भौरी देवी पुत्री धन्ना हि. 1/5, सुशीला पुत्री धन्ना हि. 1/5, प्रेम देवी पुत्री धन्ना हि. 1/5 जाति मीना सा. देह खातेदार के हिस्से में रहेगी। उक्तानुसार तहसीलदार बस्सी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। प्रकरण में फोत हुए पक्षकार के वारिसों की जांचकर उनके नामान्तकरण दर्ज कर तदपश्चात अमल दरामद की कार्यवाही करें। बाद अनुमोदन कुर्रेजात व नक्शे तहसीलदार बस्सी को भिजवाया जावें।.......निजी.................मुबलिक.............. ....बाबत......................................खर्चा.................................इरा मुकदमे का मय सूद वगैरह... ....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.........................को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 15.07.2024 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तख्त.....(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर

ओहदा..............................

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
वावत इजराय			वावत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण

सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर